

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{सीडर 20, एल 6 7, जल्ला वीजली}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकदमा श्रीकरणपुर
व इन्वास श्री सुभाष चन्द्र (अ.प.ए.ए.)

गुरप्रीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जॉरिंग तहसीलदार श्रीकरणपुर

घारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 92/2021

निर्णय दिनांक :- 09.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिमेशनल कर्टई स्वयं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री फलविन्द्र सिंह, इन्द्रान सेनू पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत घारा 88 राजस्थान काय्यकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व व अधिनियम 1956 मली-माति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 4 आर की जमाबन्दी सन्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 29/29 व खाता संख्या 30/30 में क्रम संख्या 6 पर दर्ज नाम सोनी पुत्र लाल सिंह के स्थान पर सोनी उर्फ गुरप्रीत सिंह पुत्र लाल सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 09.03.2022 को यह पर्या डिक्री घेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (अ.प.ए.ए.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इयूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



{सुभाष चन्द्र (अ.प.ए.ए.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर तहसील, जयपुर

दिनांक: 09/03/2022

क्रमांक: सीडर/ 2022/ 119

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (अ.प.ए.ए.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर